ORIGINAL RESEARCH PAPER

literature

KEY WORDS:

इन्दु बाली के कथा–साहित्य में नारी के समान अधिकार की अवधारणा

गुरमेल सिंह गुरू काशी विश्वविद्यालय, तलवंडी साबो बठिंडा, पंजाब

भारतीय धर्म ग्रंथों के अनुसार पति का धर्म ही पत्नी का धर्म होता है। इस प्रकार की मनोवृत्ति में परिवर्तन दिखाई देने लगा है। नारी–चेतना उभरने लगी हैं। अधिकार को लेकर नई दिशा एवम् नई संभावनाओं की खोज हो रही है 'आधुनिक हिंदी शब्द कोश' में अधिकार का अर्थ है– "कार्य–भार, प्रभुत्व, सत्ता, हक, दावा, स्वत्क।"[1] 'मानक हिंदी कोश' के अनुसार अधिकार का अर्थ है – "वस्तु या संपत्ति आदि पर होने वाला ऐसा स्वामित्व जो स्वामी को उस वस्तु या संपत्ति के संबध में सब कुछ कर सकने में समर्थ बनाता हैं।"[2] 'समान अधिकार' में 'समान' शब्द का अर्थ है– "समान होने के भाव, तुल्यता, बराबरी"[3]। 'राजपाल हिंदी शब्दकोष' में 'समान अधिकार' का अर्थ है – "जातिय गुण या विशेषता के कारण मिले हुये समान अधिकार।"[4] 'मानक हिंदी कोश में' 'समान अधिकार' का अर्थ है– "बराबर का अधिकार।"[5] भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 में भी स्त्री–पुरूष के मूल अधिकार को लेकर समान कानूनी संरक्षण, जाति, लिंग भेदभाव का इंकार तथा नौकरी के अवसर में समानता की बात का उल्लेख हैं।

नारी–विमर्श के मूल अधिकारों में समानता का आग्रह आधार भूत है। आज नारी अपने अधिकार को लेकर सजग है, वह समाज से समान अधिकार की माँग कर रही है तथा इन अधिकारों का प्रयोग वह स्वंय के विकास तथा परिवार और समाज के लिए करती हुई प्रतीत होती है। नारी के समान अधिकार की माँग समाज के स्वस्थ विकास के लिए आवश्यक है तथा नारी–विमर्श के मूल चिंतन का कारण भी। समान अधिकार को अपनी इच्छानुसार धर्म का पालन करने तथा कहीं भी रहने की स्वतंत्रता से भी लिया जा सकता हैं।

सविंधान प्रदत्त समान अधिकार के इस प्रावधान ने स्त्री–समाज के लिए अधिकार के नए मार्ग खोल दिए है। समाज, जाति तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ ही स्त्रियों की समान स्वतंत्रता की बात से आज वकालत, बैरिस्ट्री, डॉक्टरी, प्रोफेसरी, नेतृत्व, विज्ञान, कला– कौशल, वाणिज्य, बडी– बडी नौकरियाँ आदि जीवनोपाय प्रतिष्ठा के जो कार्य पहले केवल पुरूषों के अधिकार में थे, अब स्त्रियों के अधिकार में भी आ गए है।

इन्दु बाली के कथा–साहित्य में स्त्रियाँ पुरूष के समकक्ष विभिन्न तरीके से अपने बराबरी के अधिकार को पाने के लिए बेचैन है। अपनी रचनाशीलता की निरन्तरता एवम् कथ्य के प्रति सजगता के कारण इनकी कहानियों में स्त्री की अपने अधिकारों के प्रति संघर्षशीलता दिखाई देती हैं। इन्दु बाली ने स्वंय भी इसी ओर संकेत किया है कि "कहानी कभी भी नारी प्रधान या पुरूष प्रधान नहीं होती। उसकी दृष्टि भाव विश्लेशण करती है, जहाँ स्त्री–पुरूष साथ–साथ होते है, समाज साथ होता है, परिवार साथ होता है। क्योंकि मेरा मानना है कि नारी–पुरूष एक दूसरे के पूरक है। ऐसी कोई रचना हो ही नहीं सकती जहाँ कारण और प्रक्रिया साथ–साथ न चलें, जहाँ स्त्री है वहाँ पुरूष भी होगा और जहाँ पुरूष है वहाँ नारी भी होगी, उनका एक परिवार भी होगा और साथ ही एक समाज भी जिसमें वे जीते मरते है।"[6]

भारतीय सामाजिक व्यवस्था के अन्तर्गत परिवार में हमेशा से पुरूष सत्ता की प्रधानता रही हैं। स्त्री को परिवार में हमेशा ही पुरूष के अनेक प्रश्नों के घेरे में रहना पडा हैं। अतः एक स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए उसकी नींव के रूप में परिवार में स्त्री को समान अधिकार मिलना जरूरी हैं। अतः आवश्यकता है कि परिवार में स्त्री–पुरूष संबधों के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन हो। परिवार में स्त्री की महत्ता उसे प्राप्त हुए अधिकार से परिलक्षित होती हैं। स्त्री के लिए यह दोहरी लडाई होती हैं, चाहे वह पढी–लिखी हो या मजदूर, स्त्री घर–परिवार का कल्याण अवश्य सोचती हैं। स्त्री आज अपनी क्षमता और कार्यकुशलता के बल पर परिवार में अपना अधिकार प्राप्त कर रही हैं। इन्दु बाली स्त्री के पारिवारिक अधिकार को लेकर पूर्णतया सचेत है।

यदि समाज के इतिहास को देखें तो पता चलता है कि नारी के पास उक्त अधिकार औंर सामर्थ्य होते हुए भी निर्णय लेने की क्षमता नहीं थीं। मृदुला गर्ग के शब्दों में – "स्थिति यह है कि नारी के पास अधिकार तो हैं पर निर्णय लेने का सामर्थ्य नहीं हैं। काफी हद तक यह आर्थिक आत्मनिर्भर न होने के कारण है पर आर्थिक क्षमता के बावजूद स्थिति में बदलाव नहीं आ पाता तो इसलिए कि नारी स्वंय को निर्णायक शक्ति नहीं मान पाती है।"[7] वैदिक तथा उत्तर– वैदिक काल में स्त्रियों में वरण की स्वतंत्रता थी। समाज द्वारा स्वयं निर्णय का अधिकार उन्हें प्राप्त था। राम आहुजा के मतानुसार – "उत्तर – वैदिक काल में अगर स्त्रियों के अधिकार को देखें तो रामायण – महाभारत काल में स्त्रियाँ कभी पर्दा नहीं करती थीं। अपने जीवन साथी के वरण में स्वतंत्र थी।"[8]

इन्दु बाली के सम्पूर्ण उपन्यास और कहानियाँ नारी पर ही केन्द्रित हैं। कहीं न कहीं इनके सारे कथा – साहित्य में नारी – अस्मिता की तलाष हैं। अब नारी पुरूष की दासी नही बल्कि हर तरह से उसके समानतान्तर खडी है। उसकी अपनी जिन्दगी है और उसे हर कदम पर स्वयं निर्णय लेने का अधिकार हैं।

अपने वर्तमान तथा भविष्य की चिंता ही नारी को स्वयं निर्णय के लिए बाध्य करती है। 'निर्णय की शक्ति' की रीतिका भी निर्णय के भयंकर परिणाम से नहीं डरती। "भौतिक युग की जरूरतें इतनी बढ गई है, सोच इतनी बदल गई है कि हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ प्राप्त नहीं होगा। जीवन आज सामान्य नहीं रहा। दृष्टि, सोच, मान्यताएँ सब बदल गई है। ..... फैसला करना है पर कैसे? शक्ति नहीं है पर कुछ तो सोचना होगा। अपने मन की बात उसने पहले रीतेश को बताई पर वह उसे मजाक समझकर टाल गया। माँ–बाप को बताई तो उन्हें धक्का लगा। इस निर्णय के परिणाम भयकर होगें। कौन करेगा इन सब सम्बन्धों के बाद उससे शादी? रीतिका ने निर्णय ले लिया आज वह अभय थी। शादी से इनकार कर वहीं नौकरी करने चली गई–शादी उसके लिए आज कोई महत्व नहीं रखती। यूँ तिलतिल मरने से तो अच्छा हैं समय रहते वह निर्णय ले ले। एक भूल करने से वह जीवन–भर मंजिल खोजती रहती। वह निर्णय ले लेने के बाद काफी सहज महसूस कर रह थी। उसे लगा शायद वह आज नारी होने की कमजोर सोच से ऊपर उठ गई थी।"[9]

इन्दु बाली की नारी पात्र स्वयं निर्णय लेकर सामाजिक संरचना को बदलने में भी अपना महत्वपूर्ण योंगदान दे रही है। परिवार में उसका उठाया कदम इतना आसान नहीं होता हैं। परिवार के टूटने का डर बना रहता हैं। किंतु कभी–कभी इस प्रकार का निर्णय वह सहजता से ले भी लेती हैं।

स्त्री आज स्वयं निर्णय ले रही हैं। उसका अपना सामर्थ्य अधिक ऊर्जस्वित है। इन्दु बाली के कथा–साहित्य में निर्णय की क्षमता का प्रयोग नारी कर रही हैं। यही क्षमता उसके परिपूर्ण व्यक्तित्व की पहचान बनकर आती हैं।

तलाक के अधिकार की संकल्पना नारी के अनचाहे पति, संबंध से मुक्ति पा लेने में निहित हैं। संभवतः इस अधिकार का प्रयोग पुरूष की ओर से लिया जाता हैं।"[10] 'समाजजशास्त्र विश्वकोश' में तलाक की वैधानिक स्थिति स्पष्ट की गई है, "इस का प्रमुख उद्देश्य उन व्यक्तियों को राहत देना है जहाँ सामान्य वैवाहिक संबंध दूभर हो गए हैं।"[11]

नारी–वादी लेखका इन्दु बाली के कथा–साहित्य में नारी पात्र आज के समाज के प्रतिनिधि पात्र हैं। उनमें स्वाभिमान, आत्मसम्मान की भावना हैं। जब नारी को लगने लगता है पति–पत्नी का सम्बंध अब मात्र दिखावा रह गया है तो वह अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए पति से तलाक लेकर स्वतंत्र हो जाती हैं।

इस विश्लेषण से स्पष्ट है कि तलाक पाने की चाह रखनेवाली स्त्री अपने जीवन की परेशानियों से तंग आकर तलाक चाहती हैं। आज संवैधानिक रूप से मिले तलाक के अधिकार का प्रयोग स्त्री–जीवन की त्रासदियों से मुक्ति पाने के लिए हैं। नए जीवन का स्वीकार वह इस अधिकार के कारण कर सकती हैं।

समाजिक, पारिवारिक सम्बधों के आधार पर वर्णित नारियों में एक वर्ग माँ का हैं। माँ को नारी का सर्वश्रेष्ठ रूप कहा गया हैं। माँ बनना अपने आप में एक गौरव पूर्ण स्थिति हैं। माँ के रूप में ही नारी विकास की पराकाष्ठा का स्पर्श करती हैं। इस रूप में वह अंह भाव का भी परित्याग कर देती है। दोषारोपण नहीं करती। गहरे आत्ममंथन के बाद इन्दु जी की कहानियों की कमोबेश सभी कथा नायिकाएं किसी निर्णय पर पहुँचती हैं।"[12] इन्दु बाली के कथा–साहित्य के केन्द्र में वैसे तो नारी के सभी रूपों के चित्रण मिलता हैं पर स्त्री के मातृत्व रूप का अत्यन्त सफल चित्रण हैं।

मातृत्व सुख प्राप्त करने के लिए नारी हर कष्ट सहने को तैयार हो जाती हैं, यहाँ तक कि प्रसव में चाहे उसकी अपनी जान को खतरा हों। "समस्त परिवार शालिनी का जीवन चाहता था। उसके जीवन में यह बहार फिर भी आ सकती है, पर उसे विश्वास न था। दस वर्ष की लम्बी यातनामय तपस्या के बाद यह वरदान पाया था। उसे जीवन और अज्ञात नन्हें जीव में से किसी एक को चुनना था। उसने चुन लिया था अपनी आत्मा के विस्तार स्वरूप नन्हें जीव को।"[13]

उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि नारी के इस निपट अकेले निपटने वाले प्रजनन काल का चित्रण तथा उसमें सुख का असीम अनुभव करते हुए जीवन को परिपूर्ण बनाने की स्त्री संकल्पना का पूरे ब्यौरे के साथ चित्रण हुआ हैं। जो इन्दु बाली के कथा–साहित्य में सशक्त रूप में मिलती हैं।

नारी मुक्ति सही मायने में तभी होगी जब उसे सामाजिक अधिकार प्राप्त होगा। नारी–मुक्ति आंदोलन के कारण आज नारी–समाज को बदलने के प्रयास में कदम उठा रही है। इसमें नारी का समाज में स्वतत्र रूप से विचरण करना तथा अपनी अलग अस्मिता को बनाए रखने के साथ–साथ राजनीति, कानूनी, पारिवारिक तथा आर्थिक इन समस्त अधिकारों कों प्राप्त कर लेने की संकल्पना निहित है।

इन्दु बाली के कथा–साहित्य में नारी को सामाजिक अधिकार के प्रति सचेत किया गया हैं। परम्परागत रूढियों, परम्पराओं को तोड़कर नारी अब अपना जीवन अपने तरीके से जीना चाहती हैं।

'बीज प्रक्रिया' की सुनन्दा एक शिक्षित और अपने पैरों पर खडी आत्मनिर्भर शिक्षित है। जो राष्ट्र को मजबूत करने के लिए बच्चों रूपी नीवं में अच्छे संस्कार और गुण डालना चाहती हैं। जब स्कूल के समारोह में मुख्यमंत्री जी आते हैं, तो उसकी उच्च–शिक्षा, काबिलियत को देखकर विश्वविद्यालय में नौकरी करने को कहते हैं– "तुम्हारे लिए यह स्थान नहीं तुम्हें तो विश्वविद्यालय में होना चाहिए।" मुख्यमंत्री के

पूछने पर कि "कितना पढी हो?"सुनन्दा बताती हैं, "जी, पी.एच.डी. कर चुकी हूँ और डी.लिट. के लिए काम कर रही हूँ।"[15] 'सुगन्धित पुष्प' की विभुना एक आदर्श अध्यापिका हैं जो लडकियों पर होने वाले अत्यचार को सहन नहीं कर पाती और स्वंय लडकियों के माँ बाप की मानसिकता बदलना चाहती हैं। विभुना, तरूणा जो क्लास में प्रथम रहती हैं, के माँ बाप को बताना चाहती हैं कि लड़के और लड़कियों में आज कोई अन्तर नहीं रहा। "शिक्षा सिर्फ डिग्री ही नहीं होती बल्कि लड़कियों को चेतना भी प्रदान करती हैं जो उन्हें जीवन का एक स्वस्थ मूल्य देती हैं।"[16] वह कहती हैं, "लड़कियों के लिए आज कोई क्षेत्र चाहे वह शासन हो, प्रशासन हो, अध्यापन हो, चिकित्सा हो या इंजीनियरिंग हो कुछ अछुता नहीं। बडी–बडी सम्भावनाएँ है, बस सही दिशा मिलनी चाहिए। आपकी बेटी में सम्भावनाएँ भरी पडी हैं, दूसरी बात यह कि समय बदल गया हैं, जीवन का दृष्टिकोण बदल गया हैं। अपनी शिक्षा पूरी कर यदि लड़की शादी से पूर्व दो–चार साल काम कर ले तो उसका आत्मविश्वास बढता हैं और अपने जीवन साथी और उसकी जिम्मेदारी को अधिक अच्छी तरह से स्वीकार करती हैं, संकीर्णता उसे लेशमात्र भी छू पाती क्योंकि वह बेहतर जीवन जीने की दृष्टि और चेतना रखती हैं।"[17]

निश्कर्शः

कहा जा सकता है कि आज नारी की सोच में परिवर्तन अगर हो रहा है तो इसका मुख्य कारण उसका शिक्षित होना ही हैं। इन्दु बाली ने अपने नारी पात्रों को पढी–लिखी चेतित नारी के रूप में प्रस्तुत किया हैं। समाज में शिक्षा का प्रभाव दिखाई देता हैं। नारियाँ अब पढी–लिखी हैं और भविष्य निर्माण करने में जुटी हुई है।

1 चतक गोविंद (संपा.). 'आधुनिक हिंदी शब्द कोश' पृ0 22
2 र्व्मा रामचंद्र (संपा.). 'मानक हिंदी कोष' पहला ख्ज्ञउ पृ0 75
3 नवल जी (संपा.). 'नालदा विशाल शब्द सागर, पृ0 1408
4 बाहरी हरदेव (संपा.). 'राजपाल हिंदी शब्द कोश पृ0 806
5 र्व्मा रामचंद्र (संपा.). मानक हिंदी कोष, पांचवां खंड पृ0 286
6 बली डॉ0 इन्दु (संपा.). सहित्यिक यात्रा और विश्लेषण, नई झिल्ली, एम0 एन0 पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स प्र सं0 2009, पृ0 168
7 बली इन्दु सोच का पुल 'मानो, न मानो दिल्ली ए. आर एस पब्लिषर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स प्र0 सं0 2008 पृ0 123
8 बली इन्द्र बस हमारा हो गया था, 'मानेा, न मानों, दिल्ली ए0 आर0 एस0 पब्लिषर्स एंद डिस्ट्रीब्यूटर्स प्र0 स0 2008, पृ0 74–75
9 बली डॉ0 इन्दु, 'साहित्यिक यात्राा और विश्लेषण', नई दिल्ली, एम0 एन0 पब्लिषर्स एड डिस्ट्रभ्बयूटर्स, प्र0 स0 2009, पृ0 287
10 र्ग्ग मृदूला, 'समागम', सामयिक प्रकाशन नई दिल्ली, सं0 1998, पृ0 130
11 आहूजा राम, भारतीय सामाजिक व्यवस्था', रावत पब्लिकेशन, जयपुर, प्र0 सं0 1995, पृ0 82
12 बली डॉ0 इन्दू, स्वीकृति की ओर, 'मानो, न मानो, दिल्ली, ए. आर एस. पब्लिषर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, प्र0 सं0 2008, पृ0 47
13 बली डॉ0 इन्दू, निर्णय की शक्ति, 'मानो, न मानों' दिल्ली , ए0 आर0 एस0 पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूषर्स, प्र0 सं0 2008, 42–43
14 वही पृ0 34
15 बली इन्दु, सुगन्धित पुष्प 'चुमन' नई दिल्ली , आत्मराम एंड संस संस्करण 2010, पृ0 41
16 बजी इन्दु. सुगन्धित पुष्प, 'चुमन, नई दिल्ली, आत्माराम एंड संस, संस्कार 2010, पृ0 41
17 व्ही पृ0 42